बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

बिहार जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014

सं०सं०–3/स्था०–04–(सं० नि०)–06/2014 का 2037/भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, जल संसाधन विभाग के अमीनों की भर्ती एवं अन्य सेवाशर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। – (1)** यह नियमावली "बिहार जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ। –इस नियमावली के जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो –**

(i) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार,

(ii) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना),

(iii) **"उप–संवर्ग"** से अभिप्रेत है अमीन संवर्ग में इस नियमावली के तहत गठित उप–संवर्ग,

(iv) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है संबंधित प्रक्षेत्र के मुख्य अभियंता/निदेशक (भू–अर्जन एवं पुनर्वास),

(v) **"संवर्ग नियंत्री प्राधिकार"** से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग बिहार,

(vi) **"विभाग"** से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग,

(vii) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग,

(viii) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रील से 31 मार्च तक की अवधि,

(ix) **"वर्ष के अन्दर रिक्ति"** से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने से विशिष्ट वर्ष में उद्भूत रिक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना। –(1)** अमीन संवर्ग में निम्नलिखित दो उप संवर्ग होंगे :–

(क) अभियंत्रण प्रक्षेत्र के अमीनों का उपसंवर्ग, एवं

(ख) भू–अर्जन एवं पुनर्वास प्रक्षेत्र के अमीनों का उपसंवर्ग।

(2) दोनो उपसंवर्ग का गठन निम्नवत् होगा –

क्र0 स0	कोटि का नाम	स्तर
01	अमीन	मूल कोटि
02	परिमापक	प्रोन्नति स्तर

(3) उक्त पदों का वेतनमान वहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, विनिश्चित किया जाय।

(4) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटि में नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

(5) स्वीकृत बलों की संख्या विभाग, समय–समय पर, घटा या बढ़ा सकेगी।

4. संवर्ग का स्तर।:–

(1) अभियंत्रण प्रक्षेत्र के अमीनों का उपसंवर्ग प्रक्षेत्रीय मुख्य अभियंता स्तर का होगा। परन्तु किसी कर्मी के अनुरोध पर एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानान्तरण की स्थिति में, उक्त कर्मी स्थानान्तरित परिक्षेत्र में सबसे कनीय कर्मी होंगे किन्तु प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने पर संबंधित कर्मी की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

(2) भू–अर्जन एवं पुनर्वास प्रक्षेत्र के अमीनों का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा।

5. उम्र सीमा। – अमीन के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर नियत की जायगी।

6. आरक्षण। – भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

7. नियुक्ति।– (1) अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, अमीन के पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा–फल के आधार पर, प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।

(2) अमीन की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से इन्टरमीडियट (10+2) या समकक्ष अर्हता का प्रमाण पत्र एवं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमानत की डिग्री या आई0टी0आई0 से सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

8. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठयक्रम। – अमीन की नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित दो पत्र होगें, जिनका पूर्णाक 200 अंको का होगा :–

(1) **प्रथम पत्र।**– सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान (50 अंक) एवं सामान्य हिन्दी (50 अंक)।

(2) **द्वितीय पत्र।**– सामान्य गणित (50 अंकों का मैट्रिक स्तर), एवं अमानत से सम्बन्धित प्रश्नों के लिए (50 अंक)।

9. परिवीक्षा अवधि। –

(1) मौलिक रिक्त पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक अमीन पद ग्रहण की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि पूरी करने पर अमीन का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सरकार परिवीक्षा अवधि और एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकेगी, यदि प्रतीत हो कि आचरण एवं सेवा में सुधार की सम्भावना है। बढ़ायी गयी अवधि में भी आचरण एवं सेवा यदि संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

10. प्रशिक्षण।– अमीनों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार, समय–समय पर, विनिश्चय करने हेतु स्वतंत्र है। सरकार द्वारा किये गये विनिश्चय के आधार पर अमीनों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

11. विभागीय परीक्षा। – सरकार समय–समय पर विभागीय परीक्षा एवं पाठ्यक्रम नियत कर सकेगी।

12. सम्पुष्टि। – परिवीक्षा पर नियुक्त अमीन परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित शर्त्तो के अधीन रहते हुए सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :–

(1) यदि सरकार कोई विभागीय परीक्षा विहित की हो तो वह अवश्य उत्तीर्ण हो चुका हो;

(2) समय–समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा हो तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो;

(3) इस अवधि में उसका आचरण एवं उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।

13. **वरीयता। –** इस सेवा के सदस्यों की वरीयता आयोग से प्राप्त मेघा सूची के तथा यह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर नियत सिद्धान्तों एंव प्रक्रिया तथा नियुक्ति प्राधिकार के अधीन रहते हुए होगी।

14. **प्रोन्नति। – (1)** मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

15. **प्रकीर्ण। –**

(1) **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील** – बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुशासन, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील संबंधी मामलों में लागू होंगे।

(2) इस नियमावली में विशिष्टि रूप से अनुपबंधित सेवा शर्त्ते बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा ,समय–समय पर, जारी अन्य निर्णयों से शासित होंगी।

(3) इस नियमावली में से किसी नियम के निर्वचन में कोई संदेह की दशा में विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर विभाग का विनिश्चय, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् अंतिम होगा।

(4) इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग विधि विभाग के परामर्श के पश्चात राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और कठिनाइयों के निराकरण के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

16. **निरसन एवं व्यावृति। –(1)** इस संदर्भ में वर्त्तमान नियमों/विनियमों को एतद् द्वारा निरस्त किए जातें हैं।

(2) परन्तु इस निरसन के होते हुये भी उक्त नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जिस दिन ऐसा कुछ किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– सं०सं०–3/स्था०–04–(सं० नि०)–06/2014 का 2037/पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/–
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– सं०सं०–3/स्था०–04–(सं० नि०)–06/2014 का 2037/पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/ विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक– सं०सं०–3/स्था०–04–(सं० नि०)–06/2014 का 2037/पटना–15, दिनांक– 16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/निदेशक, भू–अर्जन एवं पूनर्वास/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.12.14
(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

16 दिसम्बर, 2014

संоसंо—3/स्थाо—04—(संо निо)—06/2014/2038/ बिहार जल संसाधन विभाग के अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) (भर्ती एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली 2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.12.14

(आशीष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग।

The 16th December, 2014

The Bihar Water Resource Department Amin Cadre (Field Establishment) (Recruitment and Service condition) Rule-2014

N0.-3/Astha-04-(S. Ni.)-06/2014-2037-In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article -309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the recruitment and other service conditions of the Amins for Water Resource Department :-

1. **Short title, extent and commencement - (1)** These Rules may be called "The Bihar Water Resource Department Amin Cadre (Field Establishment) (Recruitment and Service condition) Rule-2014";

(2) It shall extend to the whole State of Bihar;

(3) It shall come into force from the date of publication of the notification.

2. **Definitions -**

In this rules, unless there is anything contrary to the subject or context -

(i) **"State Government"** means the Government of Bihar;

(ii) **"Cadre"** means the Water Resource Department Amin cadre (Field Establishment)

(iii) **"Sub Cadre"** means sub cadre constituted under this rules;

(iv) **"The appointing authority"** means Chief Engineer of the Zone/ Director (Land Acquisition and Re-habilitation);

(v) **" Cadre Controlling Authority"** means the Principal Secretary/Secretary Water Resources Department, Bihar.

(vi) **"Department"** means Water Resources Department;

(vii) **"Commission"** means the Bihar Staff Selection Commission;

(viii) **"Year"** means financial year i.e., the period from 1st April to 31 March;

(ix) **"Vacancy within year"** means the vacancy occurring on account of creation of new post, retirement, death, termination and discharge from the service in a specific year.

3. **Constitution of the Cadre** -**(1)** There shall be two sub cadre under Amin cadre:-

(a) Sub cadre of Amin in Engineering wing.
(b) Sub cadre of Amin in Land Acquisition and Rehabilitation wing.

(2) Constitution of both sub cadres shall be as under :-

Sl. No.	**Name Of Category**	**Level**
01	Amin	Basic Category
02	Parimapak	Promotion Level

(3) Pay scale of the above post shall be same as fixed by the state government from time to time.

(4) Persons appointed on regular basis and working in the said category prior to application of these rules shall automatically be deemed to be included in this service.

(5) The Department may, from time to time, increase or decrease the number the sanctioned strength.

4. **Level of The Cadre** - **(1)** Sub cadre of Engineering wing working shall be of the Regional Chief Engineer level, but in case of transfer of any employee from one zone to another zone at his own request, The said employee shall be the junior most in the transferred zone, but on transfer of a administrative ground, then his seniority shall be unaffected.

(2) Cadre of the amin working under Land Acquisition wing shall be at State level.

5. **Age limits** - The minimum age of the candidate for the post of Amin shall not be less than 18 years as on 1st of August of the year in which applications would be invited. The maximum age limit shall be the same as fixed form time to time by the Department of General Administration, Government of Bihar.

6. **Reservation** - Compliance of the provisions of reservation/roster notified from time to time, by the State Government shall be compulsory in the appointment and in promotion in this service.

7. **Appointment** - **(i)** The direct appointment to the post of Amin shall be made on the basis of the recommendation obtained from Bihar Staff Selection Commission on the basis of result of Competitive Examination conducted for the post of Amin.
(2) It will be essential for the candidates to have certificate of Intermediate (10+2) pass or equivalent qualification from a recognized Board or equivalent institution and Degree of Amanat from a Government recognized institute or to be success in the training of surveyor from I.T.I.

8. **Syllabus for written competitive examination** - For appointment to the post of Amin, there will be a Competitive Examination to be conducted by The Bihar Staff Selection Commission consisting of the following two papers of which full marks shall be 200 marks :-

(1) First Paper - General knowledge, Current Events and General Sciences (50 marks) and General Hindi (50 marks)

(2) Second Paper - General Mathematics (50 marks of metric levels) and 50 marks for Amanat related questions.

9. Probation Period :-

(1) Every Amin appointed against the basic vacant post shall remain on probation for a period of two years from the date of joining.

(2) In case the conduct and service of a Amin is not found satisfactory during the completion of the probation period, the probation period may be extended for further period of one year, if it appears that there is a possibility of improvement in the conduct and service. If the conduct and service is found unsatisfactory even during the extended period, his service may be terminated.

10. Training - The Government is free to determine for giving training to Amins ,from time to time. On the basis of the decision taken by the Government for training, it will be essential to participate in training for the Amins. If any examination is fixed at the end of the training it will be compulsory to pass in it.

11. Departmental Examination and syllabus - The Government may fix Departmental Examination and syllabus, form time to time.

12. Confirmation -The Amin appointed, on expiring of probation period, shall be eligible for confirmation in the service subject to following conditions:-

(1) If the Government has prescribed any Departmental Examination, he must have pass the said examination.

(2) He has obtained training to be prescribed, from time to time, and passed the examination if any, at the end of training.

(3) His conduct and his service have been satisfactory during this period.

13. Seniority - The seniority of the members of this cadre shall be determined on the basis of the merit list obtained from the Commission and it shall be subject to the principles and procedure fixed by the Department of General Administration of the State Government and the appointing authority.

14. Promotion -(1) Promotion from basic grade to higher grade can be given after completing the KALAWADHI fixed by Government (General Administration Department) time to time and on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

(2) Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department

15. Miscellaneous - (1) Discipline, Control and Appeal-The provision of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall apply to the Cadre relating to the matters of discipline, classification controls and appeals.

(2) Service condition particularly not provided in these Rules shall be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued by the State Government, from time to time.

(3) In case of any doubt in the interpretation of any rule of the rules, the same will be referred to the Department and the decision of the Department on which shall be final after the consultation with the Law Department.

(4) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions to this rules, the Government may, after the consultation with the Law Department, by order published in the Official Gazette, make such provision not inconsistent with the provision of these rules, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

16. **Repeal and Saving -(1)** The existing rules & regulations in this regard are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provision of the said rules/regulations shall be deemed to have been done or taken under the provisions of these Rules as if these Rules were in force on the day on which such thing was done or action was taken.

By the order of Governor,
Sd./-
Dipak Kumar Singh.
Secretary to Govt.,
Water Recourses Department.

Memo N0.- 3/Astha-04-(S. Ni.)-06/2014 ka 2037 /Patna-15, Dated- 16 th Dec, 2014

Copy Forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna with request to publish this notification in extraordinary issue of the Bihar Gazette and to send its five hundred copies to this department.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo N0.- 3/Astha-04-(S. Ni.)-06/2014 ka 2037 /Patna-15, Dated- 16 th Dec, 2014

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/Finance Department, Bihar, Patna/ All Departments/All Divisional Commissioner/Concerned Treasury/ Registrar General High Court/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat/C.M. Secretariat/Secretary, BSSC, Patna.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo N0.- 3/Astha-04-(S. Ni.)-06/2014 ka 2037 /Patna-15, Dated- 16 th Dec, 2014

Copy forwarded to P.S. to Ministrr WRD/P.S. to Secretary/All Engineer in chief/Joint Secretary (Management)/ Director, Land Acquisition and Re-habilitation/All Deputy Secretary (Management)/All Under Secretaries/All Chief Engineer, WRD, Bihar.

16.12.14

(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.